

**कार्यालय - मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।**

क्रमांक - 14

दिनांक - 06-04-2024


**-: कार्यालय आदेश :-**

में, रमेश कुमार, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर (लिक प्रभार) एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक-Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated 01-06-2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 30-03-2024 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 13-04-2024, 14-04-2024, 27-04-2024 तथा 28-04-2024 को पूर्व में अधिकृत पीठासीन अधिकारियों की आपसी सहमति पर अपरिहार्य कारणों से पूर्व नियत रिमांड इयूटी को निरस्त करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को माह अप्रैल, 2024 में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में उपस्थित होकर (दिनांक 13-04-2024 व 14-04-2024 को कार्यालय समय 11:00 ए.एम. से 01:30 पी.एम. तक तथा दिनांक 27-04-2024 व 28-04-2024 के मध्य कार्यालय समय 09:00 ए.एम. से 11:30 ए.एम. तक) करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ, अन्य दिनांक के लिये पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेगा -

**माह अप्रैल, 2024 हेतु -**

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	13-04-2024	श्री रामचंद्र चौहान	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9414534882
02.	14-04-2024	श्री भंवरसिंह	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 03, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9829427853
03.	27-04-2024	शाइस्ता लोधी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9529155244
04.	28-04-2024	शाइस्ता लोधी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9529155244

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दांडिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।


  
(लिक पीठासीन अधिकारी)

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।  
जोधपुर महानगर

नोट - (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुलजिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।


(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

  
(लिंक पीठासीन अधिकारी)  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।  
दिनांक - 06-04-2024

क्रमांक - 01

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
6. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।
7. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
8. ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल एवं कमांड (पुलिस विभाग) सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जोधपुर महानगर।
12. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. - 2, 3, 8 जोधपुर महानगर।
13. कार्यालय प्रति।

  
(लिंक पीठासीन अधिकारी)  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।